UPAL010008872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।
पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–534 सन् 2026

अरमान खान पुत्र मुकेश कुमार निवासी-ग्राम श्यामू, थाना-एकता नगर, जनपद-आगरा।

..... अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी/वादी

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थनापत्र पर उभय पक्षों का पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना पत्र **प्रार्थी/अभियुक्त अरमान खान पुत्र मुकेश कुमार द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 774/2025, धारा–87,137(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना खैर, जिला** अलीगढ. में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.10.2025 को वादी मुकदमा की पुत्री उम्र 20 वर्ष घर से चली गई है। वादी मुकदमा की पुत्री वादी के पड़ोसी के मोबाइल नंबर 9528013560 से मोबाइल नं० 8126242195 पर बात करके गई है। वादी मुकदमा को शक है कि मोबाइल नंबर 8126242195 का धारक वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया।

4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय अवर न्यायालय से खारिज हो चुका है। जिसका आदेश प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि महोदय निवेदन है कि प्रार्थिया दिनांक 29.10.2025 को सुबह 09.00 बजे अपने काम से दिल्ली गई थी तथा मेरी बेटी निशा उम्र करीब 20 वर्ष पुत्री राकेश दिवाकर निवासी मौहल्ला उपाध्याय किराये का मकान गोविन्द कसवा खैर थाना खैर जनपद अलीगढ़ में रह रहे है। दिनांक 29.10.2025 को मेरी पुत्री निशा उम्र करीब 20 वर्ष घर से चली गयी है मेरी पुत्री निशा ने मेरे पड़ोसी के मो०नंबर 9528013560 से मो०नं० 8126242195 पर बात करके गई है मुझे शक है कि उक्त मोबाइल नंबर के धारक द्वारा मेरी पुत्री को बहल फुसलाकर भगा ले गया। मुकदमा वादिया द्वारा घटना दिनांक 29.10.2025 को होना बताया गया है

जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूरे एक दिन के विलम्ब से दर्ज होना बताया गया है और विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है। उकत् वाद में पीड़िता के 161 सी०आर० पी०सी० के बयान संक्षेप में इस प्रकार है कि मेरा नाम निशा पुत्री राकेश दिवाकर निवासी उपाध्याय थाना खैर जनपद अलीगढ़ की रहने वाली हूं। मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष है मैं पिछले 2-3 वर्ष से इंस्टाग्राम के जरिये अरमान पुत्र मुकेश निवासी- श्यामू थाना एकता आगरा से बात चीत होती थी तथा कभी कभी फोन पर बात चीत करती थी दिनांक 29.10.2025 को 10 बजे सुबह अरमान मुझे घर से शादी करने के लिये बहला फुसलाकर भगा ले गया मैं अरमान के साथ 2-3 दिन तक घूमते रहे दिनांक 02.11.2025 अरमान के पिता ने हमेदेख लिया हमे एकता थाने में ले गये फिर एकता थाने वालों ने हमारे घर सूचना दे दी फिर हमारे घर वालों ने खैर थाने पर बतायी फिर खैर पुलिस हमे खैर थाने पर ले गयी हम दोनों 2-3 दिन तक पति पत्नी के रूप में रहे। पीड़िता के 164 सी०आर०पी०सी० के बयान संक्षेप में इस प्रकार है- मेरा नाम निशा है मैं 29.10.2025 को अरमान के साथ आगरा अपनी मर्जी से गई थी मैं अरमान से प्यार करती हूं। अरमान ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं घरवालों ने परेशान कर रखा था इसलिए चली गयी मुझे मारते पीटते थे अभी मैं मां बाप के साथ जाना चाहती हूं। वादी की वास्तविकता इस प्रकार है कि पीड़िता के माता पिता पीड़िता की शादी कराना चाहते थे जिसका विरोध पीड़िता द्वारा किया जाता था जिस कारण उसके माता पिता द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट की जाती थी इसी कारण पीड़िता अपना घर छोड़कर चली गयी इससबसे बचने के लिये पीड़िता के माता पिता ने अभियुक्त को झूंठा फंसाया है। अभियुक्त के इंस्टाग्राम का कोई भी चैट या कॉल का विवरण आरोप पत्र में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त का गिरफ्तारी का कोई भी स्तवंत्र गवाह या साक्षी नहीं है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को ना तो बहला फुसलाकर भगा कर ले जाया गया है और न ही उसके साथकिसी तरह का गलत कार्य किया गया है। पीड़िता के 161 सी०आर०पी०सी० के बयानों में काफी विरोधाभाष है। पीड़िता द्वारा कोई भी डॉक्टरी परीक्षण कराने से इंकार कर दिया गया है। अभियुक्त को गांव की पार्टीबंदी व राजनैतिक कारणों से उपरोक्त वाद में झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं है और ना ही पूर्व में सजायाफ्ता है। अभियुक्त का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और ना ही खारिज हुआ है। अभियुक्त मेहनत मजदूरी करने वाला सम्मानित परिवार का सदस्य है जो अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय न्यायालय की शर्तानुसार अपनी स्वच्छ जमानत माननीय न्यायालय के समक्ष देने को तैयार है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुनाया गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त नहीं है। तहरीर के अनुसार दिनांक 29.10.2025 को जब वादिनी अपने काम से दिल्ली गई थी तभी उसकी पुत्री (आयु 20 वर्ष) घर से चली गयी। वादिनी द्वारा अपनी पुत्री को अपने पड़ौसी के मोबाइल नम्बर पर बात करके जाना कहा गया है। दिनांक 02.11.2025 को पीड़िता व अभियुक्त को थाना एकता जनपद आगरा पर मौजूद होने की सूचना पर पुलिस द्वारा पीड़िता व अभियुक्त को थाने से बरामद किया गया है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन किया गया है कि, *"मैं पिछले 2–3 साल से इंस्टाग्राम के जरिए अभियुक्त से बातचीत करती थी तथा कभी–कभी फोन पर भी बातचीत कर लेती थी। दिनांक 29.10.2025 को समय 10 बजे सुबह अभियुक्त मुझे घर से शादी करने के लिए बहला–फुसलाकर भगा ले गया और मैं अभियुक्त के साथ 2–3 दिन तक घूमती रही। दिनांक 02.11.2025 को अभियुक्त के पिता ने हमे देख लिया और हमें लेकर एकता थाना आगरा ले गये, फिर एकता थाने वालों ने हमारे घरवालों को सूचना दे दी।"* पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन किया गया है कि, *"मैं 16 वर्ष की हूँ। मैं 29.10.2025 को अपनी मर्जी से अरमान के साथ आगरा गयी थी। अरमान से मैं प्यार करती हूँ। अरमान ने कोई जबरजस्ती नहीं की। हमारे बीच कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं रहे। घरवालों ने परेशान कर रखा था। इसलिए चली गई। मुझे मारते पीटते थे। अभी मैं माँ–बाप के साथ जाना चाहती हूँ।"* केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पिड़िता द्वारा स्वयं अपनी मर्जी से अपना बाहरी व आन्तरिक परीक्षण कराये जाने से इंकार किया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 02.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **अरमान खान** पुत्र अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०-**50,000/-**रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–05.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता– संगम (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.05 12:52:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court